न्यायालय सिविल जज (अवर खंड), जनपद – श्रावस्ती।

मूलवाद सं०– 639/2022

जगराम आदि बनाम यार मोहम्मद आदि।

दिनांक– 19.09.2024

पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई। प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विगत कई तिथियों से वादी लगातार अनुपस्थित है एवं प्रतिवादी उपस्थित है। वादी को अपने वाद पर बल देने हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा चुके है। आज दिनांक 19.09.2024 को कई बार पुकार कराई गई किन्तु वादी उपस्थित नही है न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिससे वाद संचालन के प्रति उसकी अरूचि स्पष्ट परिलक्षित है।

उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो।

(गौरव द्विवेदी)
सिविल जज (अवर खण्ड),
श्रावस्ती।